



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/12/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं.: 22/2025

दिनांक 23.05.2025

सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन द्वारा फा.सं. II-31(03)CCU/JZ/2025 दिनांक 24.04.2025 के अंतर्गत जारी जापनों की अनुपालना में हवलदार के पद पर अनंतिम आधार पर अधिकारियों की नव नियुक्ति के फलस्वरूप, हवलदार श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से और अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं :-

Sl. No.	Name of the Officer (Shri)	DOB	From	To
1.	Mohit Meena	05.01.2003	On joining	CGST Jodhpur
2.	Pradeep Kumar Sain	01.07.1999	On joining	CGST Udaipur
3.	Samir Saini	14.12.2001	On joining	CGST Jodhpur
4.	Hemant	21.08.2002	On joining	CGST Udaipur
5.	Manish	30.01.1998	On joining	CGST Udaipur
6.	Pravesh	18.03.2005	On joining	CGST Jodhpur
7.	Ankit Choudhary	15.01.2002	On joining	CGST Jaipur

2. उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 23.05.2025 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

3. चूँकि यह आवंटन नवनियुक्ति पर किए जा रहे हैं, अतः उपरोक्त अधिकारियों को कोई स्थानान्तरण भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)

संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ उदयपुर / जोधपुर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमाशुल्क, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. गार्डफाइल/ नोटिस बोर्ड
5. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।